

संख्या: 4806/XI/13/56(21)2011TC-II

प्रेषक,

विनोद फोनिया,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक/परियोजना समन्वयक,

केन्द्रीय परियोजना समन्वयक इकाई,

आई0एल0एस0पी0, देहरादून।

ग्राम्य विकास अनुभाग।

देहरादून, दिनांक: 7 मार्च, 2014

विषय- आई0एल0एस0पी0 के अन्तर्गत आईफैड द्वारा प्रेषित Letter to Borrower में उपार्जन के सम्बन्ध में दिए गए प्राविधानों को परियोजना में लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 649/2013-14 दिनांक: 12.12.2014 एवं 12/2013-14 दिनांक: 15.10.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत आईफैड द्वारा प्रेषित Letter to Borrower में उपार्जन के सम्बन्ध में दिए गए प्राविधानों को परियोजना में लागू किए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के निम्नलिखित बिन्दुओं पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए शिथिलता प्रदान की जाती है, शेष प्राविधान उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार यथावत् रहेंगे-

S.No.	Subject / Head	As per "Letter To Borrower"	As per "UPR, 2008"	Relaxation
		Proposed action to be taken as per rule 72(4) of upr 2008	Provision in UPR, 2008	
		Para no / Proposed Provisions	Para no / Provisions	
1.	Procurement Method (Goods) Thresholds	19(4) Single Source/ Direct Contract -Amount less than ₹2,75,000/- (i.e.USD 5000)	8(1) Single Source/ Direct Contract - Amount less than ₹15,000/-	Single Source /Direct Contract- Amount less than ₹1,00000/- (One lakh)
2.	Procurement Method (Works) Thresholds	20(3) Quotation/ National Shopping -Amount more than ₹2.75 lakhs (i.e.USD 5000) or less than ₹27.50 Lakhs (i.e. USD 50000)	39(3) Quotation/ National Shopping -Amount more than ₹15,000/- to less than ₹1.00 Lakh	Quotation/ National Shopping - Amount more than ₹15,000/- to less than ₹3.00 Lakh

		20(4) Single Source/ Direct Contract -Amount less than ₹2,75,000/- (i.e.USD 5000)	40(4) Single Source/ Direct Contract - Amount less than ₹15,000/-	Single Source /Direct Contract- Amount less than ₹1,00000/- (One lakh)
--	--	---	---	---

भवदीय,
(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक:—यथोक्त।

प्रतिलिपि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(एस०पी० सिंह)
अनु सचिव।